प्रस्तावना

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा की जाती है । इस प्रतिवेदन में राज्य के वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अन्य कर प्राप्तियां, खनन प्राप्तियॉं तथा अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों से संबंधित राजस्व प्राप्तियों के लेखापरीक्षा परिणाम प्रस्तुत किये गए हैं ।

इस प्रतिवेदन में वर्णित प्रकरण उनमें से हैं जो वर्ष 2010–11 के दौरान अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के समय दृष्टिगत हुए अथवा पूर्व वर्षों में दृष्टिगत हुए, परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके थे ।